पंचम माला, खण्ड 62, अंक 44, शुक्रवार, 21 मई, 1976/31 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXII, No. 44, Friday, May 21, 1976/Vaisakha 31, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं / Vol. LXII Contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए *Price* : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

शुक्रवार, 21 मई 1976/31 वैशाख, 1898 (शक)

Friday, May 21, 1976/Vaisakha 31, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	1—3
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--कार्यवाही सारांश	Committee on Private Member's Bills and Resolutions—Minutes . .	3
सभा का कार्य	Business of the House . . .	4
संविधान (42 वां प्रतिवेदन) विधेयक--पुरःस्थापित	Constitution (Forty-second Amendment) Bill—Introduced . . .	4
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill—Introduced	4
विवाह विधि (संशोधन) विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Marriage Laws (Amendment) Bill—Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	5
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder .	5
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . .	7
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan .	8
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . . .	9
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri . .	9
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerji . .	10
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey . . .	10
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam .	10
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	11
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	12
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga .	12
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwari .	13
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	13
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	14
श्री धामनकर	Shri Dhamankar . .	15
श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri Narsingh Narain Pandey .	15
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	15
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . . .	16
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani . .	16

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
संविधान (संशोधन) विधेयक-- (अनुच्छेद 15 का संशोधन और नये अनुच्छेद 16क आदि का अन्तःस्थापन)— श्री डी० के० पंडा द्वारा पुरःस्थापित	Constitution (Amendment) Bill— (Amendment of Article 15 and insertion of new article 16A. etc). by Shri D. K. Panda—Introduced .	17
संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 124 का संशोधन श्री पी० के० देव द्वारा--वापिस ले लिया गया	Constitution (Amendment) Bill . (Amendment of article 124) by Shri P. K. Deo—Withdrawn .	17
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	17
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	18
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	18
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	19
श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri Narsingh Narain Pandey	19
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	20
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	21
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	22
डा० वी० ए० सईद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	22
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo . .	23
संविधान (संशोधन) विधेयक-- (अनुच्छेद 75 का संशोधन) श्री विभूति मिश्र द्वारा--	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 75) by Shri Bibhuti Mishra—	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	24
श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	25
श्री बी० बी० नायक	Shri B. V. Naik. . .	26
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura .	27

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 मई, 1976/31 वैशाख, 1898 (शक)
Friday, May 21, 1976/ Vaisakha 31, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की वर्ष 1974-75 सम्बन्धी समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : श्री पाई की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 10887/76]

तमिलनाडु भण्डागार अधिनियम और बम्बई काश्तकारी तथा कृषिक भूमि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और एक विवरण

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री अण्णासाहेब शिन्दे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु भाण्डागार अधिनियम, 1951 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम०एस०

संख्या 335 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कतिपय वस्तुओं के लिए परिशोधित भाण्डागारण प्रभार दरें दी हुई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया / **देखिए** संख्या एल० टी० 10888/76]

(2) (एक) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई काश्तकारी तथा कृषिक भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 82 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई काश्तकारी तथा कृषिक भूमि (गुजरात पहला संशोधन) नियम, 1976, की एक प्रति जो दिनांक 25 मार्च, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम०/76/75/एम०/टी० एन० सी०/1075/134879-जे० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये / **देखिए** संख्या एल० टी० 10889/76]

दण्ड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) अधिनियम श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 21) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 7 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया / **देखिए** संख्या एल० टी० 10890/76]

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ पठित तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) जी० ओ० एम० एस० संख्या 1356 जो दिनांक 13 अगस्त, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० एस० संख्या 1375 जो दिनांक 20 अगस्त, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० ओ० एम० एस० संख्या 1378 जो दिनांक 20 अगस्त, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० ओ० आर० संख्या 2686 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० ओ० आर० संख्या 2782 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० ओ० एम० एस० संख्या 1890 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० ओ० एम० एस० संख्या 1904 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० ओ० एम० एस० संख्या 1988 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० ओ० एम० एस० संख्या 2137 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दस) जी० ओ० एम० एस० 7 जो दिनांक 21 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० ओ० एम० एस० संख्या 335 जो दिनांक 3 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये / **देखिए** संख्या एल० टी० 10891/76]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री जो० जी० स्वैल (स्वायन्तरासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 63वीं से 68वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखे गये।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया): म घोषणा करता हूं कि 24 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्यों को लिया जायेगा :

(1) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार तथा उसे पास करना;

(2) आज की कार्यसूची से बचे हुए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार;

(3) संविधान (42वां संशोधन) विधेयक, 1976 पर **मंगलवार, 25 मई 1976** को विचार तथा पास करना;

(4) टैरिफ आयोग (निरसन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में पर विचार तथा पास करना ।

(5) निम्नलिखित पर चर्चा :—

(क) राष्ट्रीय बाल नीति संबंधी संकल्प;

(ख) भारत में महिलाओं के स्थान संबंधी समिति के प्रतिवेदन।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदनों।

संविधान (42वां संशोधन) विधेयक
Constitution (Forty Second Amendment) Bill

विधि, न्याय और कंपनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मनन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के

प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILL --Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विवाह विधि (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार आरम्भ किया जायेगा।

श्री दिनेश जोरदर (मालवा) : मैं विवाह विधि (संशोधन) विधेयक में निगमित किये गये उपायों का स्वागत करता हूं। इस विधेयक की कुछ बातों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये क्योंकि ये बातें हमारी सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर और स्त्री-पुरुष संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेंगी। इनसे परिवार के भावी विकास और अगली पीढी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

जिस जल्दबाजी में यह विधेयक तैयार किया गया है तथा विचारार्ध सभा में पेश किया गया है, वह वांछनीय नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि पति-पत्नी के संबंधों को प्रभावित करता है और पारिवारिक जीवन में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शायद इस विधेयक को तैयार करते समय समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण में उल्लेख किया गया है कि इस विधेयक को तैयार करते समय महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति के प्रतिवेदन तथा सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। समिति की सिफारिशों में हमारे देश की महिलाओं की दशा में सुधार करने तथा उनका उत्थान करने के लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, श्रम तथा अन्य सुविधाएं सामाजिक संबंध, राजनीतिक स्थिति आदि अन्य पहलू भी हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना हम किस

तरह यह जान पायेंगे कि आज हमारे समाज में महिलाएं किन परिस्थितियों में रह रही हैं। आज उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक वर्तमान सामाजिक ढांचे से उन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता और हमारे जीवन के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक केवल मात्र विवाह विधियों में परिवर्तन कर देने से ही हमारे जीवन में आधुनिकता नहीं आयेगी।

मंत्री जी अभी भी इस विधेयक को जनमत के लिए परिचालित कर सकते हैं या फिर इस पर बहतर रूप से विचार करने तथा विशेषज्ञों, समाजविदों तथा इस मामले से संबंधित अन्य लोगों की राय जानने हेतु प्रवर समिति को भेज सकते हैं। इस पर भली भांति सोच विचार करके इसे पुनः सभा में पेश किया जा सकता है।

विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि अत्याचार तथा परित्याग भी तलाक का एक आधार माना जायेगा। न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद करने या तलाक लेने के लिए याचिका दायर करने के समय अन्तर को भी कम कर दिया गया है। मुझे इस प्रकार के परिवर्तनों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या यह उचित होगा कि पति तथा पत्नी के बीच तनिक सा मतभेद या झगड़ा उन्हें तलाक लेने के लिए प्रोत्साहित करे।

इस समय हम बहुत ही जटिल समाज में रह रहे हैं। किसी भी प्रकार के मानसिक आघात से मानसिक विकृति पैदा हो सकती है। पति अथवा पत्नी में से किसी का भी अस्थाई अवधि के लिए मानसिक विकृति भोगनी पड़ सकती है। इस तरह की मानसिक अवस्था तथा कुछ आपसी मतभेद वैवाहिक सम्बन्धों में अड़चन पैदा कर सकते हैं। क्या यह सम्बन्ध विच्छेद करने या तलाक देने के लिए अच्छा आधार होगा, इस पर ठंडे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है।

इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का स्वागत किया जा सकता है किन्तु विधेयक में जो कुछ परिवर्तन किये गये हैं उन सबसे हमारे स्वस्थ परिवार का विकास होगा या कहीं उनसे हमारे पारिवारिक जीवन तथा हमारे सामाजिक विकास का भविष्य नष्ट तो नहीं होगा, इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

महिलाओं का दर्जा संबंधी समिति ने सुझाव दिया था कि 'व्यभिचार' शब्द को भारतीय दंड संहिता तथा दंड उपबन्धों से हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि यह दंडनीय अपराध माना गया है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है जिसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये था।

"पागल" की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए तथा कुछ अन्य आधारों के बारे म ठोस परिभाषा देने के बजाय एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दी गई है। नये खण्ड में "पागल" के अर्थ की केवल व्याख्यात्मक टिप्पणी में व्याख्या की गई है। इससे अड़चनें पैदा हो सकती है और मुकदमे के समय विभिन्न प्रकार की राय पेश की जा सकती है और इस परिभाषा की गलत व्याख्या की जा सकती है। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं विधेयक के उन उपबन्धों का स्वागत करता हूं जिनमें मामले को तुरन्त निपटाने और कार्यवाही गुप्त रखने के उपबन्ध हैं। न्यायालय द्वारा समझौता कराने वाला नियुक्त करने संबंधी उपबन्ध का भी स्वागत है।

यदि पति अथवा पत्नी में से किसी को किसी आपराधिक दंड के कारण सात या उससे अधिक वर्षों का कारावास हो जाता है तो वह तलाक का आधार माना गया है। फिर हमें तस्करी तथा समाज-विरोधी औषधि नियंत्रण तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों को भी इसमें सम्मिलित क्यों नहीं करना चाहिए। समाज में ये घोर अपराध है। अतः यदि पति अथवा पत्नी में से कोई भी इन अपराधों के लिए अपराधी मान लिया जाये तो तलाक के लिए यह भी एक आधार होना चाहिए।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि संभव हो तो इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये या जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाये क्योंकि इसका संबंध हमारे परिवारों और समाज से है।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Sir, this Bill was long awaited. People for all walks of life were talking about it for quite sometime and though, it has come after some delay, the hon. Minister is to be complimented for bringing it now.

There were certain misgivings in the minds of the people about the title of the Bill but when you read the Statement of objects and reasons, these misgivings are allayed because you find that it is an amending Bill of Hindu Marriage Act. The Bill is aimed at removing various difficulties being experienced in implementing the parent Act, as can be seen in the amendment of Section 14, whereby a case could be filed only one year after marriage as against the old provision of three years.

In our society if a girl, after marriage is unfortunately unable to adjust herself in her husband's house and if she is neglected and ill-treated there, she finds that even her parents are sometimes reluctant to provide her shelter. In that case she is likely to go astray and thus leads an immoral life. I would, therefore, support that in such cases not only free legal aid should be provided to such women, but free residential accommodation should also be provided to them.

The provision that the court proceedings would be held *in camera* is very welcome. Since these cases are of a private nature it is really desirable that their proceedings are held *in camera*. Provision had also been made for punishing those who published such proceedings without the court's permission. But the punishment provided is only a fine upto Rs. 1000. This is somewhat lenient. Along with this fine provision of three months imprisonment should also be made.

New clause 21(1)(a) will help speedy disposal of divorce cases and save a lot of botheration of the aggrieved party. Similarly the procedure has also been simplified in that the burden of proof shall lie on the opposing side only.

I personally feel that there should be no discrimination of age in regard to filing such suits. I, therefore request the hon. Minister to reconsider the matter as child marriages are still very much prevalent in the country.

It is also necessary that no party is allowed to remarry if he or she has produced two or more children. Also, the expenses of divorce cases arising out of the quarrels between husband and wife should be borne by the State Government. In many States this is already is being done. That arrangement should be there throughout the country.

With these words, I support the Bill.

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): मैं विधेयक का स्वागत करती हूं परन्तु मैं समझती हूं कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजने सम्बन्धी सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन्त्री महोदय को निश्चय ही हमारे विचारों को जानना चाहिए और यदि संभव हो तो विधेयक को सशक्त करने वाले कुछ परिवर्तन भी यहीं किए जाने चाहिए।

यद्यपि यह विधेयक कुछ दोषों को दूर करता है फिर भी उसमें अभी कई और दोष हैं। महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति ने कुछ विषयों की सिफारिश की है और विधि आयोग ने भी कुछ अन्य मामलों की सिफारिश की है लेकिन उन मामलों को इस विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है। मन्त्री महोदय हमें बताएं कि ऐसे मामलों के संबंध में सरकार की क्या स्थिति है और कब तक सरकार द्वारा इन सिफारिशों संबंधी प्रस्तावों के पेश किए जाने की संभावना है।

महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी समिति ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर बल दिया है क्योंकि हमारे समाज में कई जाली विवाह हो रहे हैं। कई मामलों में लड़कियों को निराश्रय छोड़ दिया जाता है। उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। लड़की तथा उसके माता-पिता को मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अनिवार्य पंजीकरण ऐसी कुरीति के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगा। यह समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय ने, जिनका दृष्टिकोण इतना प्रगतिशील है, ऐसे उपबंध को विधेयक में क्यों शामिल नहीं किया है।

चूंकि भोली-भाली लड़कियों के साथ विश्वासघात के मामले की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अनिवार्य पंजीकरण का मामला और भी आवश्यक हो गया है। इसलिये मंत्री महोदय को यह उपबंध अब भी इस विधेयक में शामिल कर लेनी चाहिए। निश्चय ही असंख्य ऐसी विवश लड़कियों को राहत देने के लिए हम प्रभावी कानून बना सकते हैं।

जो लोग इस विचार का विरोध करते हैं उन्हें यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि देश में लोग विवाह को अब सामाजिक दायित्व समझने लगे हैं। अतः मैं समझती हूं कि विवाह का अनिवार्य पंजीकरण करना कोई कठिन समस्या नहीं है।

हिन्दू विवाह अधिनियम में विवाह की आयु बढ़ाने की भी आवश्यकता है। स्त्रियों के दर्जे संबंधी समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। 15 वर्ष की लड़की से विवाह के लिए सहमति प्राप्त करना उसके प्रति व्याप्ति होगी। विवाह की आयु बढ़ाने से परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी सहायता मिलेगी।

जहा तक मानसिक विकार से ग्रस्त मस्तिष्क संबंधी उपबंध का प्रश्न है, हमने यद्यपि सदन के समक्ष आए संशोधन का स्वागत किया फिर भी हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि इस मामले में कोई विकृति न हो इसके प्रति क्या सुरक्षा-प्रदान की गयी है। जब तक इस संबंध में कोई विशिष्ट

व्यवस्था न की जाए, जैसे इस बात की जांच कौन करेगा और वह किस प्रकार यह मानेगा कि अमुक पक्ष मानसिक विकास से ग्रस्त है, तब तक इस उपबंध के दुरुपयोग की काफी संभावना रहेगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्षतया स्त्रियों पर पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं कि पुरुष जाति सर्वोच्च है ।

विधि आयोग ने कहा कि विवाह विच्छेद की अर्जी को छह महीने के भीतर तथा अपील तीन महीने के भीतर निपटा देना चाहिए । लेकिन इस विधेयक के अनुसार जिस दिन अपील की गई है उसके तीन महीने के भीतर उसे निपटाने की व्यवस्था की गई है । यह उचित नहीं है । जब सरकार ने यह कहा है कि वह विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है तो विधेयक के उपबन्ध भी बिल्कुल उसी प्रकार होने चाहिये जैसा कि विधि आयोग ने सिफारिश की है।

श्री जगन्नाथ राव : (छतरपुर): यदि विधेयक के उपबंधों को पढ़ा जाए तो ज्ञात होगा कि हिन्दु विवाह अधिनियम और विकेष विवाह अधिनियम का समाधान समान रूप से संशोधन किया जा रहा है। ऐसा करते हुए एक मुख्य कदम यह उठाया गया है कि धारा 13 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की अर्जी दायर करने के अवधि विवाह के 3 वर्ष बाद से घट कर एक वर्ष कर दी गई है । यदि पति अथवा पत्नी यह महसूस करें कि वह एक साथ नहीं रह सकते तो उन्हें लम्बे अरसे तक इकट्ठा रहने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए । एक वर्ष के बाद कोई भी पक्ष न्यायालय में विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी दे सकता है ।

अब हिन्दू विवाह अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाले दोषों की ओर ध्यान देने का समय आ गया है । सरकार इन दोषों अथवा कमियों को दूर करना चाहिए तथा जिन प्रयोजनों हेतु उक्त विधेयक लाया जा रहा है उनकी पूर्ति की जा सके।

कानूनी पृथकता की अवधि को घटा कर एक वर्ष किया जाना भी एक अच्छा उपबन्ध है और अब सहमति से तलाक की व्यवस्था भी की गई है । विवाह-विच्छेद की डिग्री के एक वर्ष बाद दोनों तलाकशुदा व्यक्तियों को विवाह की जो छूट दी गई है उसका भी स्वागत है ।

आशा है कि इन उपायों से सुखी परिवारों का सृजन होगा जिनमें सन्तानों का निर्माण भली प्रकार हो सकेगा जो बड़े हो कर देश के उपयोगी नागरिक बनेंगे ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : I think this measure is very important and deserves serious consideration. I am in agreement with the previous speaker that this Bill should be referred to a Select Committee so that every aspect of the Bill may be considered in detail.

There is a provision in the Bill that if the husband or wife is cruel and can not carry on together, either of them could apply for divorce and select a new partner. This provision requires serious consideration. Nobody is above anger and everybody is likely to become its victim sometimes. Even the great saint, Gandhiji, had once lost temper and had been cruel to his wife. Such things are common in most of the families. If these were to lead to divorce, what would be the fate of our society ?

So far as the provision regarding impotency is concerned, who would certify it ? This is not an easy thing. All these things would have to be seriously considered.

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए]

[Shri P. Parthasarthy in the chair]

Shrimati Mukul Banerji (New Delhi): I support this Bill.

This measure liberalises the provisions of the Hindu Marriage Act, whereas they have ample protection under the other personal laws. It is, therefore our duty to accord protection to married women even under the Hindu Marriage Act. This should also include a provision for medical check-up of males prior to marriage so as to detect impotency.

Reference has been made to compulsory registration of marriages. In this regard it can be suggested that such marriages should be registered after the solmenisation of marriage.

There are certain cases wherein people went abroad and get married there without setting a divorce in the country. In such cases their passports should be impounded. There is no term if they married abroad but in that case divorce on dissolution of the earlier marriage should be made compulsory.

There is no mention in the Bill about children. Uptil now the children were maintained by the mother for 5 years after divorce and after that they were taken over by the father. Here it should be provided that only the mother should get the right over the children.

Provision should be made to offer free legal aid to women who seek divorce.

I cannot agree with the suggestion that these who indulge in criminal offences on smuggling should be made to be divorced by their wives.

It is very good that this amending Bill has been brought here with a view to give protection to women. The hon. Law Minister should take steps to evolve a comprehensive civil code in this regard.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon): It is a welcome feature that this legislation has been brought here to accend protection to married women. When marriages were solemnised at a tender age and when the parties did not fully understand the implications of marriage they were given a right to seek divorce. Therefore it has been rightly provided in this Bill that hearing of the divorce cases, should be started the very day when the suit for divorce is filed in the court. When a deadlock has arisen in married life and women are made victims of persecution, it is quite in the fitness of the things that this provision has been made here to remove such deadlock. There must be provisions for obtaining divorce in cases where it is not possible to carry on a happy married life.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : The hon. Minister deserves congratulations for bringing here this progressive legislation. This amending Bill seeks to reduce the time taken in the disposal of the divorce cases in court. But it is not known whether civil procedure

Code will be made applicable to these cases. It is good that this bill has provided a period of 6 months for disposal of marriage cases but it is doubtful whether the Court proceedings can be completed within a specified period of six months, because the question of evidence will be involved in such cases.

Reference has been made to the recommendations of the Committee on status of Women that special Courts or family Courts should be set up to deal with divorce cases. But no provision has been made here for setting up Courts of judicial nature.

This Bill should also have included provision for compulsory registration of marriages. Unless the divorce Act is radically amended and the clauses stipulating the grounds of divorce are substantially changed this amendment in the Hindu Marriage Act will not be much helpful.

Reference has been made to people of different castes, but here it is not a question of any particular caste as such. In fact, a uniform Common Civil Code should be evolved and made applicable to all, irrespective of any caste or creed.

Shrimati Roza Deshpande (Bombay Central): The hon. Minister deserves congratulations for bringing a legislation which accords protection to women. It should be seen that the provisions of this Bill are implemented effectively and as early as possible.

It has rightly been said that a provision should be made for registration of marriages

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair].

According to section 9 of the Hindu Marriage Act, a women has to wait for period of 7 years after marriage for seeking of divorce. This provision is disadvantageous to women, because they become older by seven years or more by the time they get a divorce. This provision should be changed. In fact one year's time is quite sufficient for making investigations. Instances are not lacking where persons go abroad and marry there leaving their former wives in the lurch.

The minimum age of marriage for girls should be raised to 18 years because the Hindu Marriage Act conferred the right to seek divorce only when the girl attains the age of 18 years even though she might have married at the age of 15.

Under the existing law, children have to live in the costody of mother for a period of five years after divorce and after that the father can take them away. It is wrong. A right should be given to the mother to keep her children permanently with her if she so likes. The hon. Minister should give a serious thought to it.

It has been very well provided that divorce cases should be disposed of within a period of 6 months. Special courts should be set up to deal with these cases of divorce with instructions to decide those cases in a period not extending to more than six months.

The rural people will not be able to derive any benefit out of this legislation due to their ignorance and so, our social organisations should apprise them of their rights and responsibilities in this matter.

As this Bill provides protection to women, I whole heartedly support it.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : It is quite essential to make amendments in our marrige laws keeping in view the spread of education and culture in our society. Divorce is sought for various reasons and unless people are adequately instructed to avoid the causes of divorce the number of divorce cases will increase. In Jamshedpur, people have changed their religion to seek divorce.

So far as the question of impotency and other diseases is concerned, the hon. Minister should bring in an amendment here making it obligatory to produce a medical certificate prior to marriage.

It is well done that procedure for seeking divorce has been simplified. It should be further simplified to the extent that even snoring can be made a ground for obtaining divorce.

The time fixed for submitting a divorce petition should be reduced to six months. There is also the question of illegitimate children. Some protection must be given to them. Children's homes should be set up for them. Then, inter-caste marriage should also be encouraged.

Shri Mool Chand Daga(Pali) : This Bill confers a right to a wife to divorce her husband even before consummation of marriage or even before attaining the age of 18 years. This provision is likely to be misused by unscrupulous persons in the villages where girls are married at an early age. Some persons may be tempted to earn money by marrying their daughters and then asking them to seck divorce and this they can go on repeating this for sometime. This aspect needs further examination.

Even after the parties have decided to seek divorce by mutural consent, they will have to wait for one more year before a decree of divorce can be passed by the court. This period should be reduced to the minimum to avoid hardship to the parties.

Courts should not give permission to publish the proceedings of a divorce case. Publication of proceedings will have an adverse effect on the reputation of the parties concerned.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : In our country except for caste Hindus, divorce is permissible in other sections of society and the methods adopted therfore are quite simple and speedy. This Bill will make divorce more difficult and complicated. In fact it will not be possible for people in the rural areas to abide by this law, and, therefore, this law will only benefit about 10 percent of our urban population.

This Bill provides for compulsory registration of marriages. This is not a practical proposition, especially in rural areas. Registration of a marriage should be made optional.

There is a serious discrepancy in the Bill which should be rectified. This Bill provides that where a decree has been passed against the husband for maintenance, no right has been conferred on him to apply for divorce while the same has been granted to the wife.

यदि विधेयक की उपधारा (2) को लिया जाये तो इससे उद्देश्य सिद्ध हो सकता है । लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं और इससे भेदभाव हो जाता है । पति को तलाक के लिए प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है । यदि ऐसा उपबन्ध करने का आश्वासन दिया जाये तो मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं । अन्यथा इस पर विचार किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपने संशोधन का नोटिस दिया है ?

श्री डी० एन० तिवारी : मंत्री महोदय के आश्वासन पर मैंने नोटिस नहीं दिया । लेकिन मैं अब दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन देने के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं । अब आप अपना संशोधन इस तरह सभा-पटल पर नहीं रख सकते।

श्री बी० आर० शुकल (बहराइच) : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। वर्तमान धारा 14 के अन्तर्गत विवाह के तीन वर्ष बाद तलाक के लिए याचिका दी जा सकती है, लेकिन अब इन अवधि को घटा कर एक वर्ष किए जाने का संशोधन स्वागत योग्य है ।

फिर अधिनियम में एक नया खण्ड 13(ख) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों के एक वर्ष तक अलग-अलग रहने पर भी उनके लिए एक साथ मिल कर रहना सम्भव नहीं हुआ है तो वे एक दूसरे की सहमति से विवाह विच्छेद कर सकते हैं । यह एक ऐसा क्रान्तिकारी और अभूतपूर्व उपबन्ध है जिससे कि पति/पत्नी कभी भी एक वर्ष में विवाह विच्छेद कर सकते हैं । यह वर्तमान अधिनियम की धारा 20 और 25 के प्रतिकूल है । धारा 20 के अनुसार याचक को याचिका में यह उल्लेख करना पड़ता है कि विवाह विच्छेद के लिए याचिका दोनों की सांठ गांठ से नहीं लाई गई है तथा न्यायाधीश को यह सिद्ध करना पड़ता है कि इस याचिका के पीछे कोई सांठ गांठ नहीं है।

यह उपबन्ध है कि यदि पति/पत्नी के बारे में 7 वर्ष तक कोई जानकारी नही मिल सके तो यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी एक पक्ष की मृत्यु हो गई है और तभी तलाक की याचिका की अनुमति दी जा सकती है । यह अत्यन्त कठोर उपबन्ध है । इस अवधि को कम कर 3 वर्ष किया जाये।

अधिनियम में ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिए कि यदि पति-पत्नी दोनों विवाह विच्छेद के लिए आपस में राजी हैं तो अधिनियम का कोई भी उपबन्ध उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सके। इससे न्यायालय का समय भी बचेगा और वादी/प्रतिवादी का पैसा भी।

जहां तक न्यायिक पार्थक्य का संबंध है, इसका एक आधार किसी एक पक्ष का किसी अन्य पक्ष के साथ ऐच्छिक यौनाचार करना भी है। लेकिन केवल एक ही आधार को तलाक के लिए पर्याप्त नहीं मानना चाहिए। लेकिन यदि परिवर्तित सामाजिक मूल्यों को देखते हुए यदि इस आधार को मान भी लिया जाये तो फिर हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या विरह विह्वल युगल को तीन, चार या पांच वर्ष तक इसी तरह अलग रहना चाहिये।

इसके बाद यह विधेयक हमारे समाज के केवल एक ही वर्ग पर लागू किया जा रहा है। समाज के दूसरे वर्गों में ऐसे ही विधेयक लाने की मांग की जा रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मैं अन्य समुदायों की भावनाओं और धार्मिक विश्वासों का आदर करता हूं। लेकिन इन समुदायों के नेताओं को इसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे उनके लिए भी ऐसा अधिनियम लागू किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं। जब पति-पत्नी यह महसूस करे कि उनका दाम्पत्य जीवन कठिन है तो उनके पार्थक्य में कानूनी बाधायें नहीं आनी चाहिए। यहां तक तो यह विधेयक उचित है। लेकिन जब हम विधेयक के महत्वपूर्ण पहलू पर पहुंचते हैं पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध किए जाने से बहुत अधिक संख्या में तलाक होने की संभावना हो जायेगी तो वहां हमें कुछ प्रतिबन्ध या सीमा होनी चाहिए। फिर ऐसे पुनीत वचन की जो विवाह के अवसर पर एक दूसरे के साथ किए जाते हैं तोड़ने से विवाह विच्छेद किया जा सकता है। विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि पति पत्नी में से कोई एक विश्वासघात का दोषी है तो इसका निर्णय उन दोनों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। हमारे जैसे पिछड़े और अविकसित देश में विवाह, जहां पुरुष के बजाये महिला को अधिक सुरक्षा प्रदान है, ऐसा पवित्र विषय है जिसमें राजनीतिज्ञ फेरबदल नहीं कर सकते। अतः विवाह संबंधी उठने वाली सभी बातों को पति पत्नी पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये।

युद्धक्षेत्र में जाने वाला सैनिक या आजीविका कमाने के लिये बड़े शहर में जाने वाला व्यक्ति इस 20वी शताब्दी में 'राम' जैसा सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। हमें इस संबंध में व्यावहारिक होना चाहिए। बल्कि इस विधेयक को कहीं अधिक लचकीला बनाने की आवश्यकता है। यही मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है।

न्यायिक पार्थक्य तलाक आदि के मामलों में न्याय दिलाने हेतु और उनमें यह भावना पैदा करने के लिए कि उनके साथ न्याय किया गया है, महिला न्यायधीशों को ही ऐसे मामले दिए जायें, क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। साधारण जनता में विवाह को और अधिक सार्थक बनाने की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या भी हमें हल करनी होगी।

इन शब्दों के साथ म विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारा हिन्दू दर्शन कोई जड़ वस्तु नहीं है । पहले हमारे यहां सांझे परिवार होते थे और परिवार का मुखिया यह देखता था कि उसके बच्चों के दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए ।

लेकिन तलाक का कानून होने से भी कोई यह नहीं कह सकता कि प्रत्येक लड़का या लड़की तलाक के लिए न्यायालय जायेगा ।

विवाह पति और पत्नी के बीच एक समझौता है । लेकिन कुछ ऐसे अत्याचार अथवा बीमारी के मामलों में तलाक आवश्यक हो जाता है और दम्पति को इसके लिए 6 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो यह निर्दयता ही है । अब इस नये विधेयक में यह अवधि कम कर दी गई है । यह एक अच्छी बात है और समाज के हित में है ।

यह विधेयक हिन्दू विवाह अधिनियम के लिये ही लाया गया है । लेकिन देश के सभी समुदायों के लिये नागरिक संहिता होनी चाहिए और सभी के लिये समान कानून बनाया जाना चाहिये । संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Sir, I welcome the motive of the Bill and support it. This Bill is perfectly according to our times and it fulfils the aspirations of our women folk who have been subjected to exploitation and social injustice for a very long time. The women folk should be given social protection in this context it is a welcome measure. But because of the influence of western element on our society about 10 or 15 percent people of our society will be affected by this measure.

80 percent of our population live in villages. Most of the women in our villages have an entirely different approach towards their husbands and family life. So it is not likely that all our villagers will take recourse to the provisions of this Bill.

The provisions of the Bill will be applied on 10 or 15 percent of the people who are influenced by brain drain.

Therefore the provisions of this Bill should apply to all sections of our society irrespective of their caste and religion in our country. This will bring a feeling of unity and integrity among various sections of the society. But this Bill is for Hindus only, It should have been renamed "special Indian Marriage Act". I request the hon. Minister to consider this aspect moreover I support this Bill.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, I congratulate the hon. Minister not only because he has brought foward such a welcome Bill but also because of the face that he has given an opportunity to the members to have a lively debate in the House. This Bill is complete in all respects. It is for the first time that the word, 'Hindu' has not been included in the Bill and it has made the Bill non-controversial. With the exclusion of 'Hindu' word this Bill is applicable to all the sections of our society irrespective of caste and religion.

The provision made in the Bill seeking that any party can seek divorce after two years of their marriage does not seem to be appropriate. Therefore the marrige age should be fixed between 18 and 20 years and the provision of divorce should be corelated with this.

We see that many persons when they have to seek divorce go to foreign countries and get their marriage dissolved. This aspect should be looked into.

There are cases where persons from Middle East countries come to this country get themselves married with Indian girls and go back to their countries where they force their Indian wives to go in for prostitution. Provisions should be made for the protection of such girls abroad.

It has been provided in the Bill that the child of the divorced mother can remain with the mother till he or she attains the age of 5 years, after which the child has to be sent to the custody of his father. I suggest that the child should be allowed to remain in the custody of her mother. Necessary amendment to this effect should be made in the Bill.

Our religion Books like vedas also provide for the divorce. As such we should not take it for granted that with this provision a very large number of divorces will take place.

However I support the Bill.

Shri Hari Singh (Khurja) : The marriage law amendment Bill, which has been brought forward in this House, is perfectly in time with time and our changing society. This is a welcome measure. Previously, courts used to take long time for deciding cases connected with the marriages and divorce. Now the law has been simplified with a view to decide such cases within the shortest possible time. Provision for divorce by consent has also been made.

This Bill aims at raising the social status of women and bringing them at par with men.

The provision for court procedings in camera is commendable and that those who divulge these proceedings will be required to pay a fine of Rs. 1,000. I feel that punishment for divulging the proceedings should be 3 years imprisonment.

Shri Chandra Shailani (Hathras) : This Bill should be welcomed. The Indian culture does not permit divorce but certain private and family circumstances necessitate the same.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सोमवार को अपना भाषण जारी रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधान कार्यों को लेते हैं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 15 का संशोधन और अनुच्छेद 16 क आदि का अन्तःस्थापन

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 15 AND INSERTION OF NEW ARTICLE 16 A ETC.)

श्री डी० के० पंडा (मंडनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन) जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 124)—*contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री० पी० के० देव द्वारा 7 मई, 1976 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :--

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बिचार किया जाये ।"

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्री पी० के० देव द्वारा लाये गये विधेयक के बारे में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मैंने सुझाव दिया है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उपस्थित व्यक्ति समाज से सम्बद्ध व्यक्ति होना चाहिये, उसे देश की समस्याओं तथा उनके समाधान का ज्ञान होना चाहिये । एक न्यायाधीश जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल आचरण नहीं करता तथा जो देश के भविष्य को नहीं देख पाता वह जन-साधारण के साथ सामाजिक न्याय नहीं कर सकता।

न्यायपालिका की सेवा में लगे लोग निश्चय ही योग्य तथा विद्वान हैं । न्यायधीश अधिकतर कानूनों का पालन करते हैं । सही अर्थों में वे लोगों को न्याय नहीं दे रहे । इसलिये मुख्य न्यायाधीश सब से अधिक सम्बद्ध व्यक्ति होना चाहिये क्योंकि दल के सब सदस्य अपने नेता के अनुसार ही काम करते हैं।

इस अवसर पर मैं आपकी सूचना में यह बात लाना चाहता हूं कि न्यायालयों को उत्तम से उत्तम निर्णयों तथा इनके कार्यान्वयन में भी कुछ त्रुटियां होती हैं । कुछ मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का पालन तथा कार्यान्वयन जिला मजिस्ट्रेट भी नहीं करते । मंत्री महोदय इन सब बातों का ध्यान रखें ।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : आज देश के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है और कोई भी मूलभूत अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है जिनके बारे हम न्यायालयों में भी नहीं जा सकते । सर्वोच्च न्यायालयों ने अभी हाल में निर्णय दिया है कि आपत्तकालीन स्थिति के दौरान नागरिक के कोई भी मूलभूत अधिकार नहीं हैं और वे इनके बारे न्यायालयों में भी नहीं जा सकते ।

स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भी स्वतन्त्रता सेनानियों को कुचला गया और न्यायालयों में कुछ निर्णय उनके विरुद्ध भी गये । लेकिन कुछ मामलों में अदालतों ने सरकार की कार्यवाहियों की निन्दा भी की और स्वतन्त्रता सैनानियों को रिहा किया गया। उनके न्याय में निष्पक्षता थी।

लेकिन आज देश में क्या हो रहा है ? न्यायाधीशों की नियुक्ति उन लोगों में से की जाती है जो सरकार का पक्ष लेते हैं अथवा जिन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय दिये हों ।

आज न्यायाधीश अपने व्यवहार अथवा निर्णयों द्वारा सत्तारूढ़ दल तथा सरकार के निकट आना चाहते हैं जो सचमुच गम्भीर बात है ।

इस पृष्टभूमि में मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति चिंता का विषय बन गया है । संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उन न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से करेगा । राष्ट्रपति इस प्रकार की नियुक्तियों के लिये मंत्रीमंडल का परामर्श भी लेता है । वास्तव में आज की परिस्थितियों में, नियुक्ति संबंधी संवैधानिक व्यवस्थायें निरर्थक हो गयी हैं और राष्ट्रपति को उचित परामर्श नहीं मिलता ।

श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए

Shri Ishaque Sambhali in the chair

अतः हम अनुभव करते हैं कि न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में कोई निश्चित प्रक्रिया रखी जानी चाहिऐ। किसी ऐसी प्रक्रिया का रखा जाना अच्छा हो जिससे सरकारी प्रशासन न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपने प्रभाव का उपयोग न कर सकें । उन्हें अपने विचारों वाले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त नहीं करने चाहिये । अनेक समाजवादी देश अब यही पद्धति अपनाने जा रहे हैं । न्यायपालिका, अधिवक्ता संघ, विधान मंडल, आदि के कुछ लोगों के निर्वाचक मंडल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मुझे याद है कि कुछ दिन पहले हम इस बारे में पूरे दो दिन चर्चा कर चुके हैं । जब तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यह आश्वासन न दिलाया जाये कि वे मुख्य न्यायाधीश समय के साथ बनेंगे न कि पसन्द के आधार पर । उन पर सरकार का पक्ष लेने के लिये अत्याधिक दबाव डाला जा सकता है । भारत में न्यायपालिका के इतिहास की ओर देखने पर पता चलेगा कि यह आलोचना कहीं अधिक है ।

संविधान पास करते समय इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाये या किसी अन्य आधार पर, यह संशोधन उस समय भी पेश किया गया था । संविधान निर्माताओं ने इस पर विचार किया और यह निर्णय किया

कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की राजनीतिक सत्ता को स्वतन्त्रता और विवेक की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता । इस आधार पर संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । राजनीतिक इच्छा ही मूलभूत है । और अब उसी को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । हमें न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है । एक न्यायाधीश की अवमानता करने का अधिकार भी संसद को है क्योंकि प्रत्येक को यह जानना चाहिये कि वह संसद की इच्छा के अधीन है । यह कहना कि हमें सबसे योग्य व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये । देश की राजनीतिक सत्ता पर एक लांछन है ।

न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के बजाय यह विधेयक भारत की न्यायपालिका को बदनाम करता है । जहां तक यह देश की राजनीतिक सत्ता को कम करना चाहता है उस सीमा तक न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में स्वतन्त्रता और अंतिम अधिकार के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता इस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । संविधान के अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है । 1950 से इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है । उस समय से इस पद पर योग्य और विद्वान लोगों का चुनाव ही किया जाता रहा तथा सभी न्यायाधीशों ने अच्छा काम किया ।

इस विधेयक में वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की बात कही गई है । यदि मुख्य न्यायाधीश के चुनाव का आधार केवल वरीयता को ही मान लिया जाये तो यह देश के लिये बड़े दुःख की बात होगी । यदि एक न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीशों से अधिक योग्य और कुशल हो तो राष्ट्रपति उसे मुख्य न्यायाधीश क्यों न बनायें ?

यह मांग भी की गयी है कि सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम दो वर्ष काम न करने वाले न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त न किया जाये । इस शर्त के रखे जाने के क्या कारण हैं । न्यायाधीशों में से किसी को भी इस पद पर नियुक्त करने की छूट राष्ट्रपति को होनी चाहिये । यदि सर्वोच्च न्यायालय में पद खाली है तो कोई बात राष्ट्रपति के उस स्थान पर सीधे-नियुक्ति करने से नहीं रोकती ।

यह कहना गलत है कि उच्चतम न्यायालय कार्यपालिका के प्रभाव में होता है और उस से न्याय प्राप्त नहीं हो सकता । चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की भांति उच्चतम न्यायालय भी स्वतन्त्र होता है और उस पर कार्यपालिका का कोई प्रभाव नहीं होता ।

मैं श्री जोरदार के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि न्यायाधीश निर्वाचित होने चाहिये । हमारे संविधान में इस पद्धति की व्यवस्था नहीं है । यह हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा । हमारा संविधान हमारी आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरी कर सका है तथा हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है । इस विधेयक को संसद द्वारा पास किये जाने का कोई कारण नहीं है ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Mr. Chairman, Sir, I oppose the Bill brought forward by my friend Shri P. K. Deo. The appointments of the judges of High Courts and the Supreme Court are made according to the provisions of the constitution and

the procedure laid down in this regard in Article 124 of the constitution is quite elaborate and balanced. There is no need for adding any proviso there under as suggested by the more of the Bill. Under the constituton the President has been given the power to appoint judges and this procedure has worked well and there is no need to make any change in the present procedure.

It is surprising that one of my hon. friend from communist party has suggested that there should be elective judges. It is against the principles of democracy to have elected judges and I do not know to what extend he believes in democracy.

So far as the question of seniority of the judges is concerned, the seniority could not be the only criterain for the appointment of a person as chief justice. There are other qualifications also which are taken into account. The President appoints the Chief Justice taking into account various factors and uptil now this procedure has worked well without any defect and as such there is no need to make this procedure rigid as suggested in the Bill.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्रस्तावक महोदय के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो। हम सब को ज्ञात है कि विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए केवल वरिष्ठता ही एकमात्र मानदण्ड नहीं होना चाहिए । मैं इसके पक्ष में हूं । परन्तु इसके लिए कुछ परम्पराओं का विकास करना है तथा कुछ प्रक्रिया तैयार करने हैं एवं सरकार का इस सदन के प्रति या देश के प्रति यह दायित्व है कि वह इस प्रकार से कार्य करे कि न्यायपालिका सन्देह से बाहर रहे । यह सुनिश्चित होना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे ।

परन्तु जैसा कि मैंने विधि मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा था न्यायाधीशों की नियुक्ति करने सम्बन्धी अधिकार का उन न्यायाधीशों को दण्डित करने के लिए उपयोग किया गया है जो समनुरूपता के सामान्य वातावरण में अपने आप को ढालने को तैयार नहीं है । यदि इस अधिकार का इस तरह उपयोग किया गया तो न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से लोगों का विश्वास डिगमिगा जायेगा । इसलिए कोई ऐसी प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए जिससे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए निष्पक्ष मानदण्ड हो ।

न्यायाधीशों की वचनबद्धता के बारे में कुछ कहा गया है । जब किसी न्यायाधीश को कानून की व्याख्या करनी होती है तो वह उस में अपनी विचारधारा का उपयोग नहीं करता है । न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि वह कानून की व्याख्या करते समय यह देखे कि इन कानूनों का वास्तविक आशय और पैचीदगियां क्या हैं । उसे इस विचारधारा पर चलना होता है, अपने सापेक्ष विचारों पर नहीं ।

मैं सभा से तथा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री पी० के० देव के इस विधेयक को ऐसा माध्यम माना जाना चाहिए जिससे सरकार को इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने का अवसर मिले तथा सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग इस तरह नहीं करना चाहिए जिससे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मसले में सरकार के निर्णय से व्यापक, रोष, शंका और सन्देह पैदा हो ।

मैं विधेयक का इस के वर्तमान रूप में समर्थन नहीं कर सकता ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक के प्रस्तावक श्री पी० के० देव यह सुझाव देना चाहते है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई पत्रिका नहीं है । ऊपरी तौर पर यह तर्क बहुत साधारण नजर आता है । परन्तु वरिष्ठता ही निर्णायक आधार नहीं हो सकती । यदि कोई व्यक्ति अधिक समय से किसी पद पर कार्य कर रहा है तो उसे सबसे अधिक अनुभवी नहीं समझा जाना चाहिए ।

मेरे मित्र श्री जोरदार ने यह सुझाव दिया है कि न्यायाधीश निर्वाचित हों । ऐसा करने से कठिनाइयां दूर होने की बजाय और कठिनाइंयां पैदा हो जायेंगी । न्यायाधीश अपना निर्णय देने से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने लगेंगे । इससे न्याय ही समाप्त हो जायेगा । इस लिए न्याय-धीशों के चुनाव नहीं होने चाहिएं ।

फिर हमारी स्थिति क्या है? वर्ष 1973 में तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करके श्री रे० के० मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जाने से यह धारणा उत्पन्न हो गई है कि सरकार संसद और न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना चाहती है । सत्ताधारी दल की ओर से यह तर्क दिया गया है कि लोकतंत्र में संसद की इच्छा ही अन्तिम मानी जानी चाहिये । प्रश्न यह है लोकतंत्र में जनता की इच्छा अन्तिम मानी जानी चाहिए । परन्तु यदि लोकतंत्र का संविधान लिखित है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि संसद् की इच्छा अन्तिम और निर्णायक है । हमारे देश में संघीय व्यवस्था है और एक लिखित संविधान है । सरकार के तीन अंग है—विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा इन तीनों अंगों का कार्यकरण संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है । प्रत्येक को अपने ही क्षेत्र में रहना चाहिए और दूसरे क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । वास्तविक संघीय ढांचे में संविधान ही अन्तिम निर्णायक होता है ।

इस मामले में कुछ नियंत्रण और संतुलन हैं । यदि न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र और उत्कृष्ट प्रवृत्ति से कार्य करेगी तो यह गलत होगा । इसी प्रकार यदि संसद अपने आपको सर्वोपरि निकाय समझ कर काम करती है और समझती है कि न्यायपालिका को उसके कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है, तो यह भी गलत है । संसद एक विशेष अवधि के दौरान ही जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है और जनता की इच्छा मूलरूप से संवि-धान में ही परिलक्षित है । अतः संविधान ही सर्वोपरि है, संसद नहीं । भारतीय संसद को भी अन्य संघीय प्रणालियों की तरह संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिये ।

लोकतन्त्र के सुचारन रूप से कार्यकरण के लिये यह जरूरी है कि कार्यकालिका के क्रियाकलापों की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त हो, जिससे वह यह निर्णय कर सके कि क्या उसके कार्य न्यायसंगत हैं अथवा नहीं । न्यायपालिका को संसद् के कार्यों की जांच करने का भी अधिकार होना चाहिए जिससे वह यह पता लगा सके कि हमारे द्वारा पास किये गये विधेयक संविधान के अनुसार हैं अथवा नहीं ।

इस तथ्य का, कि संविधान निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनाई है, यह आशय नहीं है कि उन्हें इसका कोई पता नहीं था । उन्हें इस बात का ध्यान था कि राष्ट्रपति है अर्थात् मंत्रिमंडल है । उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सभी मामलों को ध्यान में रखना चाहिए । जनमत के विभिन्न साधनों—एक ओर संसद् दूसरी और स्वतन्त्र प्रैस, तीसरी ओर जनमत—को एक साथ मिलकर सरकार को दुर्व्यवहार करने और न्यायिक पदों पर नितान्त रूप से राजनीतिक नियुक्तियां करने से रोकना चाहिए ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के लिये कोई उचित प्रक्रिया नहीं है । एक बार न्यायाधीश बनने के बाद वह उसी पद पर बने रहते हैं। इस संबंध में एक सुदृढ़ सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए कि नियोजकों और निहित स्वार्थों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिए ।

मेरा सुझाव यह है कि साधारण व्यक्तियों के मामलों की पैरवी करने वाले वकीलों को यह सम्मान दिया जाना चाहिए और उनका ही इस पद के लिए चयन किया जाना चाहिए । इस समय उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से निरीह व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता । अतः न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के मामले को अति गम्भीर मामला माना जाना चाहिए ।

न्यायालय अवमान प्रक्रिया में इतना आमूल परिवर्तन किया जाये कि यदि किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है तो उसे आवाज उठाने और अपने पक्ष में जनमत लेने का अधिकार होना चाहिए । अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कार्यकरण के प्रश्न पर नये ढंग से विचार किया जाना चाहिए ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) : श्री पी० के० देव ने अनुच्छेद 124 के उपखण्ड (2) में दो परन्तुक जोड़ने का प्रस्ताव किया है । एक परन्तुक में कहा गया है कि न्यायाधीशों की पदोन्नत्ति अथवा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर हो और दूसरे में प्रस्ताव किया गया है कि किसी ऐसे न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जायेगा, जिसने दो वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो । यह विधेयक आरम्भ में वर्ष 1971 में पुरःस्थापित किया गया था तथा वर्ष 1973 में श्री रे० के० मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के बाद इस प्रश्न पर सभा में तथा सभा के बाहर विस्तृत रूप से वादविवाद हुआ था तथा यह प्रश्न अब पूर्णतया हल हो गया है और इस पर पुनः चर्चा करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

आरम्भ में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने पर कोई आपत्ति नहीं है । यदि आपत्ति है तो यह है कि वरिष्ठता को नियुक्ति का एकमात्र मानदण्ड नहीं बनाया जा सकता । भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनेक योग्यतायें होती हैं

जैसे विद्वता, विवेकपूर्ण स्वभाव, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता, प्रशासन क्षमता और अपने सहयोगी न्यायधीशों को अपने साथ मिलाने की क्षमता । यदि कोई इस देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में सोचता है तो उसे इन सभी योग्यताओं को समग्ररूप में देखना होगा और यह निर्णय करना होगा कि कौन मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य है । इसमें से केवल एक ही योग्यता अर्थात् वरिष्ठता को लेकर अन्य सभी योग्यताओं को भुला देना इस देश के उच्चतम पद के लिए लागू करना ठीक नहीं है।

मुख्य आपत्ति न्यायिक स्वतंत्रता के आधार पर उठाई गई है। हमारे संविधान में न्यायाधीशों के लिये अनेक उपबन्ध हैं । कालावधि की सुरक्षा कि न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है और निर्धारित प्रक्रिया से दोषारोपण के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है के अतिरिक्त और भी उपबन्ध हैं कि उस का वेतन नहीं बदला जायेगा और उस की सेवा की शर्तों में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जो उसके हितों के विरुद्ध हो । उसके आचरण के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती । वह बिना किराये आवास प्राप्त करने का अधिकारी है आदि आदि । न्यायाधीश को हर प्रकार की सुरक्षा दी गई है । अतः यह कहना गलत है कि यदि किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया तो उसकी स्वंत्रता समाप्त हो जायेगी।

दूसरा परन्तुक जिसका इस संशोधन में प्रस्ताव किया गया है, यह है कि यदि किसी ने उच्चतम न्यायालय में दो वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो, तो उसे मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। व्यवहार में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया हो, जिसने न्यायाधीश के रूप में दो वर्ष तक कार्य न किया हो और न ही भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। हमारा गत 25 वर्ष का यह अभुभव है और उस अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि नियुक्ति के दो वर्ष बाद किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाये । अतः परिकल्पनात्मक आधार पर संविधान में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

इसके अतिरिक्त यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है, तो बॉर से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को सीधा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना संभव नहीं होगा । अतः संविधान में संशोधन करना वांछनीय नहीं है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक वापस ले लें ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : प्रस्तुत विधेयक का मूल उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांन्त बनाना है न कि इस मामले को कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ना ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांन्त के अभाव में ही बाद में ऐसी खेदजनक परिस्थिति पैदा हुई है ।

मैं यह मानता हूं कि उनके द्वारा सुझाया गया मार्गदर्शी सिद्धांन्त पूर्णतः सही तो नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश है । नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया जा सकता है। लेकिन लोकतन्त्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए न्यायपालिका की स्वतन्त्रता अनिवार्य है। यह एक ऐसा मुख्य प्रासाद है जिस पर लोकतन्त्र को मौलिक परिकल्पना और हमारे संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्मित किया गया है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है और इसे बनाये रखना है ।

इस विषय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए । जब हमारे संविधान में शीघ्र ही संशोधन किया जाने वाला है तो इस संकल्पना पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं कि मेरा विधेयक प्रस्तुत करने का उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो गया है तथा अब मैं उसे वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि श्री पी० के० देव को भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : : मैं विधेयक वापिस लेता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 75 का संशोधन)

सभापति महोदय : : अब हम श्री विभूति मिश्र के विधेयक पर चर्चा करेंगे ।

SHRI BIBHUTI MISHRA (MOTIHARI) : Sir, I beg to move that the Bill further to amend the constitution of India be taken into consideration. There are various forms of government in different countries. But nowhere we can find a peaceful atmosphere. Everywhere there is clamour for office. This shows that no fool-proof method has so far been evolved to run the government.

What prompts me to bring this Bill is the fact that it has been noticed that fights are going on in many states for Ministerships. Many people have been Ministers for three or four terms, Yet their lust for power is not satisfied. Once a person becomes a Minister he does not want to quit that office.

The House will recall that Pandit Nehru had brought forth the Kamraj Plan under which some Ministers in the Centre and the States had to quit office. But that Plan did not meet with much success and the situation remained as it was.

Nobody is indispensable on this earth. The world continued to exist even though the great Ram, Buddha, Mahavir and Gandhi passed away and it will continue to exist even after we died. So, the theory of indispensability is totally wrong.

For division of power it is necessary that nobody remained a Minister for more than two terms. When a person completed two terms, he should go and serve in the villages. This way more people would get a chance to become Ministers.

Along with this it is also necessary that the salary of a Minister, including the rental value of the furnished residence provided to him, should not exceed Rs. 15000 per month since 60 per cent of our countrymen live on an income of Rs. 40 per month. There should be proper distribution of the wealth of the country and Government should find out some method for doing it. Some sort of code of Conduct should be evolved for fixing the salaries of Ministers as well as Members of the Parliament. If that is done we will be really heading towards socialism in the country.

Government should find out the ways of bringing socialism in India, with these words I will request the minister to accept my Bill.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : (औरंगाबाद) : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि किसी व्यक्ति के किसी पद पर बने रहने के लिए एक समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय तक मंत्री पद पर बना रहता है तो वह समझने लगता है कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता तथा इस विचार के आते ही वह स्वयं को बनाए रखने के लिए शक्ति संचय करना, जिसके परिणामस्वरूप कटुता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त नए उत्साही और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उच्चपदों पर पहुंचना सम्भव नहीं हो पाता।

यदि कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनता या किसी कारणवश फिर चुनाव नहीं जीतता तो फिर भी उसका महत्व समाप्त नहीं होता है। वास्तव में दल और देश के प्रति उसके योगदान और सेवा के कारण देश, लोग और सरकार उसके नैतिक प्राधिकार और उसके स्तर के कारण उससें प्रभावित रहते हैं। उसके सामने झुकते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस दल के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। फिर भी कांग्रेस सभी मामलों पर उनकी सलाह लेती थी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती थी।

यह विचार केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। अमरीका में जब प्रेजीडेंट ट्रूमैन के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई उन्होंने एक वक्तव्य लागू किया कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक प्रेजीडेंट के चुनाव के लिए योग्य नहीं माना जायेगा। सोवियत रूस में इसी प्रकार की विचारधारा चल रही है। इंग्लैण्ड में श्री हैराल्ड विल्सन ने 10 वर्ष तक प्रधान मंत्री पद पर बने रहने के बाद यह पद छोड़ दिया, क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों को इस पद के लिए अवसर देना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक उदार परम्परा आरम्भ की।

अतः प्रस्तावक ने इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर उदात्त उद्देश्य का सूत्रपात किया है । और आशा है सरकार इस पर विचार करेगी और कोई परम्परा बनायेगी या कानून बनाने का प्रयास करेगी जिससे कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक मंत्री पद पर न बना रहे।

इस विधेयक का दूसरा उपबन्ध मंत्रियों के वेतन के बारे में है। 60 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन करते हैं । यह उचित नहीं है कि मंत्री देश में सामान्य जीवन स्तर की तुलना में बहुत अधिक लम्बे समय तक विशेषाधिकारों को भोगते रहें। इसलिए इस सम्बन्ध में आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए।

इसके साथ सरकार को अमीर और गरीब के बीच असमानता की खाई को पाटने/या इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्रान्तिकारी दशक में न्यूनतम और अधिकतम के बीच एक अनुपात निर्धारित करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार इस पर पूरी तरह विचार करे तथा जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं विधेयक के सराहनीय उद्देश्य का स्वागत करता हूं। तथापि वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए जहां तक सम्भव हो हमारे नेताओं का यह प्रयत्न होना चाहिए कि असमानता को यथाशक्ति दूर किया जाए ।

यदि कार्य कुशलता के लिए आवश्यक हो तो आवश्यक सुविधाएं मंत्रियों को दी जाएं। परन्तु कार्य-कुशलता के नाम पर देश में उच्च आय वर्ग बड़ा ऊंचा स्तर अपनाए हुए है । इस समय गरीब और अमीर में 1:10,000 का अनुपात है । गत 27 वर्षों में यह अन्तर बढ़ा ही है कम नहीं हुआ है ।

श्री एस० एस० बनर्जी : अभी-अभी समाचार मिला है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का बोनस नहीं काटा जा सकता । विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं, अतः वह बताएं कि क्या इन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ।

श्री बी० ए० सईद मोहम्मद : मैं इसके बारे में यहीं सुन रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सोमवार को उत्तर दे सकते हैं ।

श्री बी० वी० नायक : जहां तक मंत्री के कार्य काल का सम्बन्ध है उसे उसके स्वविवेक पर छोड़ दिया जाए।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : The object of this bill is very laudable, but the question is this that can it be implemented fully? As far as the present system continues, how can the idea of having a person ministers for only two terms, be implemented. The disparity between a minister and member cannot be removed till the present system remains in practice.

In the bill it has been provided that the pay of the minister should be Rs. 1500. It may be a little more but first thing is this that corruption should be uprooted while presenting comprehensive bill for amending constitution this thing should be kept in mind.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 24 मई, 1976/3 ज्येष्ठ, 1898 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, May, 24, 1976/ Jaishtha 3, 1898 (Saka)

MGPRRND—TSS 1—12LSS/76—7-9-1976—200